सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 423
07/06/2018

अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से '' नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' के स्थान पर ''स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' मान्य

पटना, 07 जून 2018 :– भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए निर्गत विभागीय संकल्प संख्या– 2014 दिनांक 21–8–15 की कंडिका–3(ग) में अंकित ''नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' को अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए ''स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' पढ़ने की स्वीकृति के साथ अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के समरूप निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क के भुगतान की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। उक्त जानकारी सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने दी।

उन्होंने बताया कि राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है।

सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए 'नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी' को अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थनों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए 'सटेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी' पढ़ने की स्वीकृति तथा स्टेट एक्ट से गठित सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के समरूप निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्कों का भुगतान संकल्प संख्या– 2014 दिनांक 21–8–15 के निर्गत होने की तिथि से 75000 (पचहत्तर हजार) रुपये की दर पर छात्रवृत्ति अंतर्गत शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की अधितम राशि का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

******

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 423
07/06/2018

अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से '' नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' के स्थान पर ''स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' मान्य

पटना, 07 जून 2018 :– भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए निर्गत विभागीय संकल्प संख्या– 2014 दिनांक 21–8–15 की कंडिका–3(ग) में अंकित ''नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' को अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए ''स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी'' पढ़ने की स्वीकृति के साथ अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के समरूप निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क के भुगतान की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। उक्त जानकारी सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने दी।

उन्होंने बताया कि राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है।

सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए 'नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी' को अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थनों की वर्गीकरण सूची से हटाते हुए 'सटेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी' पढ़ने की स्वीकृति तथा स्टेट एक्ट से गठित सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के समरूप निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्कों का भुगतान संकल्प संख्या– 2014 दिनांक 21–8–15 के निर्गत होने की तिथि से 75000 (पचहत्तर हजार) रुपये की दर पर छात्रवृत्ति अंतर्गत शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की अधितम राशि का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

******